बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
बिहार राज्य खेल प्रोत्साहन नीति

संकल्प

विषय : राज्य के त्वरित खेलकूद के विकास के लिये बिहार राज्य खेल प्रोत्साहन नीति-**2007**

आधुनिक युग में खेल विकास का माध्यम माना जाता है। जहाँ एक ओर यह स्वस्थ युवा पीढ़ी का सृजन करता है वहीं यह युवाओं में साहस, भाईचारा, स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा अनुशासन एवं राष्ट्र भक्ति की भावना पैदा कर चरित्र निर्माण करता है। किसी भी देश के सर्वांगीन विकास को मापने का खेल एक प्रमुख पैमाना है। साथ ही खेल युवाओं के लिए रोजगार का एक अवसर भी प्रदान करता है। बिहार राज्य खेल प्रोत्साहन नीति का प्रमुख उद्देश्य बिहार राज्य में खेल का बहुआयामी विकास करना एवं युवाओं का खेल के माध्यम से चरित्र निर्माण करना है।

इस नीति को कार्यान्वयन की सुविधा के लिए निम्न तीन भागों में विभक्त किया गया है :-

1. खेल अंतः संरचना का अवस्थापन
2. खेल प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन
3. अनुश्रवण

1. खेल अंतः संरचना का अवस्थापना :- किसी खेल के विकास के लिए पहली आवश्यकता खेल मैदान की उपलब्धता है, चाहे वह इन्डोर अथवा आउटडोर हो। राज्य में खेल के लिए उपलब्ध संरचनाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध संरचनाओं का पूरा मूल्यांकन और उसके रख-रखाव की समयवद्ध कार्य योजना का निर्माण एवं नये खेल अवस्थापनाओं के निर्माण की ओर पहल किया जाना चाहिये। सरकार, शिक्षण संस्थानों, स्वंय सेवी खेल संगठनों के साथ-साथ उद्योग एवं बड़े व्ययसायियों की भागीदारी से यह सम्भव किया जा सकता है।

प्राथमिकता के आधार पर राज्य की राजधानी में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के इनडोर एवं आउटडोर स्टेडियम का होना आवश्यक है जहाँ सभी प्रकार के खेलों के प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन की सभी सुविधायें हो। इसमें मॉडल प्रशिक्षण केन्द्र, ओलम्पिक साइज के तरणताल एवं व्यायाम के लिए भार सहित सुविधा सम्पन्न जिम्नाजियम एवं मानव प्रदर्शन की जाँच के लिए प्रयोगशाला

सहित एक स्पोटर्स मेडिसीन सेन्टर स्थापित हो। साथ ही आधुनिक कम्प्यूटर में खेल आंकड़ों के भन्डारण तथा मनोवैज्ञानिक जांच प्रयोगशाला, आहार पोषण एवं सलाहकेन्द्र से सुसज्जित एक खेल पुस्तकालय को स्थापित किया जाना चाहिये, जिससे कि बिहार की राजधानी देश में होनेवाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं के लिए आयोजन स्थल के रूप में चयनित हो सके। साथ ही राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की टीमों के प्रशिक्षण हेतु हमारा राज्य स्तरीय संरचना उपलब्ध करा सके।

राज्य की राजधानी के साथ-साथ आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रमंडल/ जिला/प्रखण्ड मुख्यालयों के अलावे विश्वविद्यालयों में उपर्युक्त जैसी खेल सुविधा स्थापित किया जाना चाहिए। इसके लिए जन प्रतिनिधि, लोक उपक्रमों, उद्योग जगत आदि से आर्थिक सहयोग हेतु भी पहल किया जायगा।

शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगरपालिका) में ऐसी व्यवस्था हेतु हाउसिंग सोसायटी, आवासीय कॉलनी, एपार्टमेन्ट कम्पलेक्स एवं अन्य में पार्कों, खेल मैदानों एवं मनोरंजन केन्द्रों के लिए पर्याप्त खुले स्थान उपलब्ध हो जिनमें मल्टीजीम, आउटडोर एवं इन्डोर खेलों की सुविधायें उपलब्ध हों।

2. <u>खेल प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन</u> :-

प्रत्येक जिला/प्रखंड के साथ-साथ राज्य की राजधानी में भी विभिन्न खेलों के लिए पूर्णकालिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

उपयुक्त आयु में प्रशिक्षण सफलता की कुंजी है। इसके लिए विद्यालय स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज की जानी चाहिये। प्रशिक्षणार्थियों को आयु के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाना, प्रशिक्षणार्थियों को चिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर तीन विभिन्न आयु वर्गों यथा- 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष एवं 18 वर्ष से ऊपर विभाजित किया जाना चाहिए ।

राज्य के शिक्षण संस्थानों में क्रीड़ा विकास निधि की व्यवस्था होनी चाहिए।

बिहार में स्पोटर्स कॉलेज की स्थापना की जानी चाहिये। इन प्रस्तावित संस्थानों में शिक्षण अवधि के अतिरिक्त विद्यार्थियों को उनकी रुचि के खेलों में अपना प्रदर्शन बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध रहे। महाविद्यालयों में प्रस्तावित संरचनाओं के साथ-साथ महाविद्यालयों में प्रतिभावान खिलाड़ियों के नामांकन हेतु आरक्षण की सुविधा हो। देश या राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को नामांकन में प्राथमिकता होनी चाहिए।

2.1 <u>खेलों की प्राथमिकता</u> :-

राज्य के खिलाड़ियों/टीमों के प्रदर्शन का स्तर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का विकसित करने के लिए राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर खेलों का चयन करेगी। उन

खेलों के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जायेगा जिनमें राज्य के उतकृष्ट प्रदर्शन की सम्भावनायें ज्यादा हो। साथ ही नये खेलों के विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

2.2 प्रोत्साहन :-

ऑलम्पिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एफ्रोएशियन, सैफ खेल, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक विजेताओं को उनके उपलब्धियों के अनुसार नगद पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किये जायेंगे।

उपर्युक्त के अलावे अन्तर विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय विद्यालय खेल तथा अखिल भारतीय ग्रामीण खेल एवं महिला खेल प्रतियोगिताओं के स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक विजेताओं के लिए समुचित नगद प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जायेगा।

2.3 बिक्रीकर :-

राज्य में खेल-कूद की गतिविधियों की बढ़ोत्तरी एवं खिलाड़ियों को न्यूनतम मूल्यों पर खेल उपकरण/सामग्री उपलब्ध हो सके इसके लिए बिहार में खेलकूद सामग्री की बिक्री पर बिक्रीकर को समाप्त या कम किया जायेगा।

2.4 खेल पत्रकार/पत्रकारिता :-

राज्य की खेल गतिविधियों में खेल पत्रकारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। खेल संस्थाओं तथा मीडिया के बीच अच्छे तालमेल हेतु प्रमुख खेल संघों के कार्यालय हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाए। खेल पत्रकारों को बिहार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के द्वारा एक्रीडेशन (acredation) कार्ड उपलब्ध कराया जाए।

2.5 दुर्घटना बीमा

बिहार के खिलाड़ियों के लिए दुर्धटना बीमा की व्यवस्था हो। विभिन्न बीमा कम्पनियों से विचार विमर्श के बाद एक योजना बना कर इसका कार्यान्वयन कराना चाहिए।

2.6 रोजगार आरक्षण

बिहार की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त कर राज्य की मर्यादा बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी स्तर पर नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही राज्य अर्द्धसरकारी संस्थानों/उपक्रमों में ऐसे खिलाड़ियों की नियुक्ति की व्यवस्था हेतु प्रयास किये जायेंगे।

2.7 सहायता अनुदान

राज्य एवं जिला खेल संघों के वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें सहायता अनुदान देना चाहिए। खेल संघों/ भारतीय ऑलम्पिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता एवं राष्ट्रीय खेल में राज्य टीमों की प्रतिभागिता पर होनेवाले व्यय यथा

किराया, दैनिक भत्ता एवं पोशाक आदि का वहन यथा साध्य राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता के पूर्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कराना चाहिए।

राज्य में अधिक से अधिक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित हो इसके लिए सरकार, खेल संघों एवं प्रायोजक संस्थाओं द्वारा समेकित प्रयास किया जाना चाहिए।

2.8 <u>महिला खेल</u>

महिला खेलों के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए महिला क्रीड़ा प्रशिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए।

2.9 निःशक्त व्यक्तियों के लिए खेल के विशेष आयोजन होने चाहिए। उन्हें प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

2.10 <u>प्रेरणा</u> –

बच्चों को खेल–कूद के लिए प्रेरित करना चाहिए। परिवार में बच्चों का प्रारम्भिक समाजीकरण तब होता है जब वे बड़े होकर स्कूल जाना प्रारम्भ करते हैं। विद्यालयों में खेल को उनके पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। इसकी सफलता के लिए खेल शिक्षकों के अलावे खेलकूद में रुचि रखने वाले शिक्षकों की सेवा ली जानी चाहिए। बच्चों को खेल–कूद की ओर प्रेरित करने हेतु विद्यालय स्तर के पाठ्यपुस्तकों में ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों के जीवन वृत्त को शामिल किया जाना चाहिए।

2.11 <u>स्पर्द्धा</u> –

युवा खिलाड़ियों को उनके क्षमता के आकलन हेतु लगातार स्पर्द्धाएँ आयोजित करना चाहिए । विभिन्न आयु वर्ग के लिए अलग–अलग प्रतियोगितायें होनी चाहिए। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों एवं महिलाओं के लिए भी बहुस्तरीय प्रतियोगितायें आयोजित होनी चाहिए ।

2.12 <u>प्रतिभागिता</u>

स्पर्द्धाएँ एवं प्रतिभागिता एक दूसरे के पूरक हैं। स्पर्द्धाओं में प्रतिभागिता मस्तिष्क के सशक्तिकरण एवं प्रतियोगिता हेतु आवश्यक मानसिकता के लिए अनिवार्य है। अपने से अच्छे प्रतिद्वन्दियों के विरुद्ध शक्ति का परीक्षण खिलाड़ियों को उनके सर्वोच्च क्षमता

तक पहूँचने का अवसर प्रदान कर उनके प्रदर्शन में लगातार वृद्वि करता है। खिलाड़ियों को प्रतिभागिता के लिए अधिकाधिक अवसर मिलने चाहिए।

2.13 उन्मुखीकरण–

ख्याति प्राप्त खेल संस्थानों में प्रशिक्षकों को उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे प्रशिक्षकों को अद्यतन आधुनिक प्रशिक्षण तकनीक सुलभ हो सके एवं खेल चिकित्सा का समुचित ज्ञान उन्हें प्राप्त हो सके।

2.14 **कोष** –

पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर एक अलग खेल कोष का सृजन कर उसमें पंचायत/प्रखंड/जिला तथा विधायकों/संसद सदस्यों एवं उद्योगपतियों के अलावे राज्य सरकार से योगदान प्राप्त किया जाना चाहिए।

3. **अनुश्रवण**–

राज्य खेल प्रोत्साहन नीति के कार्यान्वयन हेतु विभाग को सहयोग प्रदान करने के लिए खिलाडियों एवं स्वंय सेवी खेल संगठनों के संयोजकत्व मे 6 से 7 गैर सरकारी सदस्यों की एक स्थायी समिति का गठन किया जाना चाहिए जो दूसरे राज्यों में जारी आधुनिक तकनीकों के अनुरूप बिहार में भी अद्यतन जानकारी रखने का परामर्श देने को कार्य करेगें। बिहार राज्य में एक स्पोर्टस काउंसिल की स्थापना की जानी चाहिए जो राज्य के विभिन्न खेल संघों के क्रिया कलापों का अनुश्रवण कर सके एवं खेलों के विकास में उनकी सहायता कर सके। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के उत्तरदायित्वों में वृद्वि की जानी चाहिए एवं उसे सशक्त बनाना चाहिए।

खेलकूद के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु भविष्य में समय–समय पर राज्य खेल प्रोत्साहन नीति की समीक्षा की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार इसमें समीचीन परिवर्तन किया जा सकेगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति बिहार गजट के विशेष अंक, सुविख्यात पत्रिकाओं और समाचार –पत्रों में प्रकाशित की जाय और सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षें और अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच परिचालित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह)
सचिव,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापकः19 / ख.–16 / 2000–1102 पटना, दिनांक – 24 अगस्त ,2007

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि नीति की एक हजार प्रति मुद्रित करा कर विभाग को उपलब्ध करावें।

ह0 / –
(विवेक कुमार सिंह)
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार।

ज्ञापांकः 19 / ख.2–16 / 2000– पटना ,दिनांक अगस्त , 2007

प्रतिलिपि – सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी / महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण / सभी विभागीय पदाधिकारी / सभी खेल संधों – को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(विवेक कुमार सिंह)
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार।